नवीन औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन,
सैक्टर-6, जिला-गौतमबुद्ध नगर, नौएडा-201301

पत्र सं0: नौएडा/सहा0महा0 (आर.डब्लू.ए.)/20/ 132
दिनांक. 12/10/2020

वरिष्ठ प्रबंधक, (वर्क सर्किल- 1 से 10)/
उप निदेशक (उद्यान-1,2 एवं 3)
नौएडा ।

विषयः- सामुदायिक केन्द्र/बारात घर एवं पार्को की बुकिंग के सम्बन्ध में ।

कृपया मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के उरोक्त विषयक आदेश **दिनांक 07.10.2020** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दी गयी स्वीकृति के अनुरूप सामुदायिक केन्द्रो/बारात घर एवं पार्को में प्रोग्राम करने के लिए **दिनांक 21.09.2020 से राज्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाते हुए सार्वजनिक गतिविधि में 100 व्यक्तियों से ज्यादा एकत्रित न हो, के संबंध में दिशा-निर्देश भी दिये है ।** कृपया इस संबंध में यह भी सुनिश्चित करें कि सामुदायिक केन्द्रो/बारात घर एवं पार्को में प्रोग्राम करने के लिए गांव के लोगों द्वारा की जा रही माँग के सापेक्ष की गयी बुकिंग में प्रदेश सरकार द्वारा नियत गाइड लाइन का भी उल्लेख किया जाय ।

कृपया मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नकः- नोटशीट की छायाप्रति ।

(आई.पी. सिंह)
विशेष कार्याधिकारी
नौएडा ।

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के सादर सूचनार्थ ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एन0) महोदया को सादर सूचनार्थ ।
3. निदेशक (उद्यान) को सूचनार्थ ।
4. महाप्रबंधक (आर0) को सूचनार्थ ।
5. अध्यक्ष, फोनरवा को सूचनार्थ ।
6. समस्त, अध्यक्ष आर.डब्ल्यू.ए. को सूचनार्थ ।

विशेष कार्याधिकारी
नौएडा ।